रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2019/भाद्र 7, 1941
No. 494] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2019/BHADRA 7, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 607(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 (1968 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियमावली 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियमावली का प्रस्ताव करती है जो इस दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त धारा द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित है: तथा एतदद्वारा सूचना दी जाती है की उक्त प्रारूप नियमावली पर उक्त तारीख से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराई गई है;

केंद्रीय सरकार द्वारा 30 दिनों की उक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001 को अग्रेषित किया जा सकता है।

प्रारूप नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—** (i) इस नियमावली को कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियमावली 2019 कहा जाए।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कीटनाशी नियमावली 1971, नियम 10 में उप-नियम (1 क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"(1क) ऐसा व्यक्ति जो कीटनाशी का विक्रय करने या वितरण करने के लिए बिक्री, स्टाक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करता है, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान

या प्राणि विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगा जो, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखता हो; या

किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से कृषि या उद्यान कृषि या संबद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो जिसमें पादप संरक्षण और कीटनाशी प्रबंध पर पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु हो;

परंतु कीटनाशियों के विद्यमान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु के हैं और जो अपना व्यापार या तो स्वयं चला रहे हैं या कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को दस वर्ष की संचयी अवधि से अधिक का अनुभव रखते हैं और जिनका वार्षिक आवर्त पांच लाख रुपए से कम है, उनके नाम में चालू अनुज्ञप्तित्व की अवधि के लिए पूर्वोक्त नियम से छूट प्राप्त होंगे;

परंतु यह और कि कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियमावली 2017 द्वारा यथा संशोधित नियमावली के प्रारंभ से पहले निर्धारित अर्हता के बिना वैध लांइसेंस धारक सभी अन्य मौजूदा खुदरा विक्रेता अथवा डीलर किसी राज्य कृषि विश्वविद्याल अथवा कृषि विज्ञान केंद्र अथवा राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान (एनआईडीपीआर) अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबंधन और एक्सटेंशन ट्रेनिंग संस्थान (एसएएमईटीआई), केंद्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षाओं सहित प्रति सप्ताह एक दिन 12 सप्ताह की अवधि के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया हो:

परंतु यह और कि कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियमावली 2017 द्वारा यथा संशोधित नियमावली के प्रारंभ की तारीख की स्थिति के अनुसार निर्धारित अर्हता के बिना वैध लाइसेंस धारक खुदरा विक्रेताओं अथवा डीलरों को उक्त अर्हताओं के अनुपालनार्थ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 दिसंबर, 2020 तक की अनुमति दी जाएगी।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति उसके पास नियोजित है, कर्मचारी के वेतन का संदाय डिजिटल पद्धति के माध्यम से या चैक द्वारा किया जाएगा ।"

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-।(खंड.V)]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख नियमावली भारत के राजपत्र, एसाधारण, भाग-II, खंड-3, (i) उपखंड में सा.का.नि, 1650 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके बाद इसमे निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किया गया था।

1. सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ) दिनांक 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), दिनांक 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ) दिनांक 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1999,
8. सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 12 सिंतम्बर, 2006
9. सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006
10. सा.का.नि. 128(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2009,
11. सा.का.नि. 174(अ), दिनांक 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2013,
13. सा.का.नि. 797(अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014,
14. सा.का.नि. 840(अ), दिनांक 5 नवंबर, 2015
15. सा.का.नि. 164(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016
16. सा.का.नि. 794(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016
17. सा.का.नि. 79(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017

IndiaCode

18. सा.का.नि. 106(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017
19. सा.का.नि. 1229(अ) दिनांक 4 अक्तूबर, 2017
20. सा.का.नि. 1588(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2017
21. सा.का.नि. 399(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2018,
22. सा.का.नि. 1204(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018,
23. सा.का.नि. 11(अ), दिनांक, 4 जनवरी, 2019 और
24. सा.का.नि. 535(अ) दिनांक 30 जुलाई, 2019

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

G.S.R. 607(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.—**(i) These rules may be called the Insecticides (Third Amendment) Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, for sub-rule (1A), the following shall be substituted namely:-

"(1A) Person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall possess or employ a person possessing a graduate degree in Agricultural Sciences or Biochemistry or Biotechnology or Life Sciences or in Science with Chemistry or Botany or Zoology from a Government recognised university or Institute ; Or

One year diploma course in Agriculture or Horticulture or related subjects from any government recognised university or institute with course content on plant protection and pesticides management as the minimum qualification:

Provided that the existing licensee of Insecticides, who are more than forty-five years of age and who have been running their trade either themselves or have inherited with cumulative period of experience of more than ten years before the commencement of rules as amended by The Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017 and the annual turn over is less than Rs. five lakh are exempted from the aforesaid rule for a period of licenceship continuing in their name;

Provided further that all other existing retailers or dealers possessing a valid licence without the prescribed qualification before commencement of the rules as amended by the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017 may possess the certificate course for a period of 12 weeks for one day per week with classes once in a week from any State Agriculture University or Krishi Vigyan Kendras or National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad or National Institute of Rural

Development and Panchayati Raj (NIDPR) or National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI), Central or State Research Institutes or any other Government recognized university or institute:

Provided further that all retailers or dealers possessing a valid licence without the prescribed qualification as on the date of commencement of rules as amended by The Insecticides (Second Amendment) Rules, 2017 shall be allowed upto 31st December, 2020 from the date of publication of this notification, to comply with the said qualifications.

(3) The payment of salary of the employee shall be made by licensees through digital mode or by a cheque to ensure that the person is employed with them".

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (Vol. V]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i)*VIDE* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *VIDE*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018
23. G.S.R. 11(E), dated 4th January, 2019 and
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.30 19:37:44 +05'30'